

बिहार सरकार
वाणिज्य-कर विभाग
—:अधिसूचना:—

संचिका संख्या :-6/अ0-3-05/2016

पटना, दिनांक—

श्रीमती इन्दु कुमारी, राज्य-कर उपायुक्त (53-55वीं बैच), कदमकुआँ अंचल, पटना को बिहार सेवा संहिता के नियम-227, 230 एवं 248 के तहत दिनांक-31.05.2025 19.06.2025 तक कुल 20 (बीस) दिनों के उपार्जित अवकाश की घटनोत्तर स्वीकृति प्रदान की जाती है।

वित्त (वै0दा0नि0को0) विभाग, बिहार, पटना द्वारा प्रतिवेदित श्रीमती कुमारी के पक्ष में देय उपार्जित अवकाश आदेयता में से उक्त अवकाश को घटाने के उपरान्त (227-20=207) (दो सौ सात) दिन उपार्जित अवकाश शेष रह जायेगा।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह0/-

(विजय कुमार)

उप सचिव,

वाणिज्य-कर विभाग,

बिहार, पटना।

ज्ञापक:-6/अ0-3-05/2016 80

/ पटना, दिनांक-07/01/26

प्रतिलिपि:-प्रभारी पदाधिकारी, वित्त(वै0दा0नि0को0)विभाग, बिहार, पटना-800015 /कोषागार पदाधिकारी, समाहरणालय कोषागार, पटना/राज्य-कर संयुक्त आयुक्त (प्रभारी), कदमकुआँ अंचल, पटना /राज्य -कर संयुक्त आयुक्त-सह-नोडल पदाधिकारी(स्था0), एच0आर0एम0एस0, वाणिज्य-कर विभाग, बिहार, पटना/आई0टी0 मैनेजर, वाणिज्य-कर विभाग, बिहार, पटना एवं श्रीमती इन्दु कुमारी, राज्य-कर उपायुक्त (53-55वीं बैच), कदमकुआँ अंचल, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

उप सचिव,

वाणिज्य-कर विभाग,

बिहार, पटना।